

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक:प 8 (ड)(१)विधि/मनो/डीएलबी/21/ 5392

दिनांक 11-1-22

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 6(1)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर निगम/परिषद्/पालिका मण्डल की अवधि जो भी पहले हो, तक के लिए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 2816 दिनांक 14.06.2021 में नगरपालिका खेतडी (झुन्झुनू) के क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री लीलाधर सैनी के द्वारा त्याग पत्र दिये जाने से रिक्त पद पर श्री गौकुलचन्द सैनी पुत्र श्री मूलचन्द सैनी को एतद् द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है।

विभागीय समसंख्य आदेश क्रमांक 5341 दिनांक 18.12.2021 के द्वारा नगर निगम जोधपुर (उत्तर) में क्रम संख्या 07 पर श्री शिव प्रकाश आर्य (सोनी) के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए श्री शिव कुमार आर्य पुत्र श्री कन्हैयालाल सोनी 47, राम मोहल्ला नागौरी गेट के बाहर, जोधपुर पढा जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

5393-5410

क्रमांक:प 8 (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/ 5410

दिनांक 11-1-22

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
02. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
03. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, जिला कलक्टर, जोधपुर/झुन्झुनू।
07. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर/जयपुर।
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. आयुक्त, नगर निगम जोधपुर (उत्तर)/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खेतडी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी